अनुसूची 14–फारम सं0–562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक – ता0...से...तक

जिला.........................**सुपौल**......................., सं0.........73..............................., सन् ....**2025**.........................

केस का प्रकार...**भू–मापी पुनरीक्षण**..............................**(रामनारायण जयसवाल बनाम राज्य एवं लक्ष्मी देवी व अन्य)** ....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
13.06.2025	प्रस्तुत भू–मापी पुनरीक्षण वाद न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल के नापी अपील वाद संख्याः 21/2023–24 (रामनारायण जायसवाल बनाम अंचल अधिकारी, पिपरा वगैरह) में दिनांक–05.12.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार कास्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा–158 (डी) अपील–I के अनुसार–"(1) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध, आदेश की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता के समक्ष अपील संस्थित होगी।" उक्त के आलोक में इस अपील आवेदन को सक्षम न्यायालय अपर समाहर्त्ता, सुपौल को सुनवाई हेतु Remand किया जाता है। अभिलेख मूल में सभी कागजातों सहित अपर समाहर्त्ता, सुपौल को भेजें। Raje K. 13/6/2025. आयुक्त	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा